प्रैस रिलीज

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली
20 दिसंबर,2022

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन स. 26-संघ सरकार (सिविल) केन्द्रीय स्वायत्त निकाय-अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद पटल पर प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन स. 26-संघ सरकार (सिविल) केन्द्रीय स्वायत्त निकाय-अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आज संसद में प्रस्तुत किया गया।

केन्द्रीय स्वायत्त निकाय (सीएबी) वे संगठन हैं जो विविध गतिविधियों में लगे हुए हैं जिनमें नीतियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था हेतु ढांचा तैयार करने से अनुसंधान करने तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण आदि तक हैं। उन्हें सार्वजनिक उपयोगिता की कुछ विनिर्दिष्ट सेवाओं को निष्पादित करने अथवा सरकार के कुछ कार्यक्रमों तथा नीतियों को, अनिवार्य रूप से सरकार की वित्तीय सहायता में से, कार्यान्वित करना अभीष्ट है। ऐसे निकायों तथा प्राधिकरणों में सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संस्थान, चिकित्सा संस्थान आदि शामिल हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2022 की प्रतिवेदन सं. 26 - संघ सरकार (सिविल) केन्द्रीय स्वायत्त निकाय-अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के विभिन्न प्रावधानों के तहत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेन-देनों की नमूना लेखापरीक्षा से उजागर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।

भारत सरकार ने 2020-21 के दौरान सामान्य, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के अधीन केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को अनुदान/ऋण के प्रति ₹83,392.08 करोड़ जारी किए। इसमें से, ₹8,688.11 करोड़ की राशि 31 मार्च 2021 तक अप्रयुक्त रही।

470 सीएबी के लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम,1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के तहत वर्ष 2020-21 के दौरान संचालित की जानी थी। इनमें से केवल 74 सीएबी ने लेखापरीक्षा हेतु समय पर अपने वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत किया। वर्ष 2020-21 के लिए 347 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखाओं को 30 जून 2021 की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया था। 49 सीएबी ने अंतिम तिथि (30 जून) से 9 महीनों के बीत जाने के पश्चात् भी 31 मार्च 2022 तक अपने लेखाओं को प्रस्तुत नहीं किया था।

विभिन्न अधिनियमों/नियमावली/सीएबी द्वारा दिशा-निर्देशों के गैर-अनुपालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां नीचे दी गई हैं:

- केन्द्रीय मात्सियकी शिक्षा संस्थान, मुंबई ने स्टाफ की कमी के कारण एक जलयान की मरम्मत एवं रखरखाव पर ₹10.18 करोड़ का व्यय करने के बावजूद, अपने पाठ्यक्रम के भाग के रूप में, उच्च समुद्र की स्थिति में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियों से छात्रों को वंचित किया तथा जलयान पिछले सात वर्षों (2014-21) में काफी हद तक अनुपयोगी भी रहा।
- चार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (भिलाई, गुवाहटी, इंदौर तथा खड़गपुर) की ओर से किराया-मुक्त आवास के अनुलाभ मूल्य को शीर्ष "वेतन" के अंतर्गत प्रभार्य आय के रूप में शामिल करने में विफलता का परिणाम अनुमानित ₹16.32 करोड़ पर टीडीएस की गैर-कटौती में हुआ।
- केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (सीएसयू) ने 2009-21 के दौरान अपने मुंबई परिसर में एक संस्थान-सह-छात्रावास ब्लॉक के निर्माण के प्रारम्भिक निर्माण कार्यों पर ₹5.17 करोड़ व्यर्थ किए क्योंकि सीएसयू द्वारा कार्य के क्षेत्र में बार-बार परिवर्तनों के कारण संस्थान-सह-छात्रावास ब्लॉक का निर्माण नहीं किया जा सका था। अंतत: परियोजना को 2020 में छोड़ दिया गया था तथा विश्वविद्यालय ने इसके देहरादून परिसर को शेष निधि (₹21.65 करोड़) का अंतरण करने हेतु सीपीडब्लयूडी को अनुरोध किया है।
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), सिल्चर का अपने द्वितीय फोटोवोल्टिक (एसपीवी) पावर प्लांट के अधिष्ठापन हेतु अधिकतम उपलब्ध सब्सिडी का लाभ उठाने में विफलता का परिणाम ₹1.14 करोड़ का परिहार्य व्यय में हुआ।
- बीएचयू ने जीपीएफ/सीपीए निधियों के निवेश हेतु वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों (02 मार्च 2015) का उल्लंघन किया तथा कुल ₹237.07 करोड़ की निधियों का विभिन्न म्यूचुअल फंड तथा गैर-सरकारी वित्तीय कम्पनियों में निवेश किया जिसका परिणाम जीपीएफ/सीपीएफ कोर्पस को ₹5.55 करोड़ की संभावित हानि में हुआ।
- भारतीय प्रबंधन संस्थान (तिरूचिरापल्ली, काशीपुर, कोलकाता, इंदौर तथा लखनऊ) ने शिक्षा मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त किए बिना 2014-15 से 2019-20 तक की अवधि के लिए अपने संकायों को संचयी व्यवसायिक विकास भत्ते से अधिक वित्तीय प्रोत्साहन अदा किए जिसका परिणाम ₹5.49 करोड़ के अप्राधिकृत व्यय में हुआ।
- राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के प्रकाशन प्रभाग ने अप्रैल 2018 से दिसंबर 2021 के दौरान अपने गोदाम से प्रिंटर के परिसर तक प्रिंटिंग पेपरों के परिवहन हेतु ₹2.35 करोड़ अदा किए। किए गए भुगतान में से ₹1.40 करोड़ का व्यय परिहार्य था क्योंकि पेपर

मिलों/आपूर्तिकर्ताओं के साथ संविदा में प्रिंटर के परिसर तक इसके निःशुल्क परिवहन का प्रावधान था।

- खराब योजना, यूजीसी दिशा-निर्देशों/जीएफआर का गैर-अनुपालन तथा निर्माण गतिविधियों का प्रारम्भ करने में असाधारण विलम्ब का परिणाम ऐसी सुविधाओं के लाभों से छात्रों को चार वर्षों के लिए वंचित रखने के अतिरिक्त व्यायामशाला के गैर-निर्माण, इनडोर खेल प्रशिक्षण सुविधा के निर्माण पर ₹76.34 लाख की लागत वृद्धि, ₹82.50 लाख की सीमा तक यूजीसी से संस्वीकृत अनुदान की जब्ती, ₹76.54 लाख के बंद होने तथा ₹75.00 लाख की वापसी में हुआ था।
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपने परिसर में संचालित बैंकों के लिए किराये की एकसमान दर को अपनाने में विफल रहा जिसका परिणाम बैंको से 2014-15 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान कुल ₹79.31 लाख के किराये की कम वसूली में हुआ।
- राष्ट्रीय कॉलरा और आंत्र रोग संस्थान (एनआईसीईडी), कोलकाता ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 9 नवम्बर 1998, जैसा यथा समय संशोधित, के उल्लंघन में अपने वैज्ञानिकों को नम्य पूरक योजना के अंतर्गत पूर्वव्यापी प्रभाव से अनियमित रूप से पदोन्नतियां प्रदान की जिसका परिणाम ₹2.07 करोड़ की राशि के अनियमित भुगतान में हुआ।
- जीपीएफ/सीपीएफ अंशदान के निवेश हेतु एमओएफ के दिशा-निर्देशों के गैर-अनुपालन के कारण, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर को ₹61.12 लाख की हानि हुई क्योंकि कर्मचारियों के जीपीएफ/सीपीएफ अंशदानों के निवेश से अर्जित ब्याज कर्मचारियों को उनके जीपीएफ/सीपीएफ जमाओं पर अदा किए गए ब्याज की तुलना में कम था।

BSC/TT/95-22